

Company Entry

आलय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धनबाद

एम० पी० केश नं० 6556... / 2017.....

धारा 107 द.प्र.स.

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाई
<p>संयुक्त फिस्तारी बनाम गुणवाम... इ 39/17 प्राप्त हुआ। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी स० अ० नि०/अ० नि० ने जाँच कर अपना प्रतिवेदन थाना प्रभारी थाना एवं अ० निरी० ने अग्रसारित किया है जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच</p>	<p>27/5/17 516/17 17/6/17 4/7/17 19/3/17 20/7/17 4/8/17 23/8/17 6/9/17 19/9/17 6/10/17 20/10/17 6/11/17 20/11/17 5/12/17 8/12/17 समाप्त</p>
<p>..... लेकर तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पहुँचा सकते हैं। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव व्याप्त है तथा इनके कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107 द० प्र० सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक को 10.30 बजे पूर्वाह्न उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके ₹ 5000.00 रु० का दो सम्प्रतिभुतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाय।</p>	
<p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद</p>	

की
स्थिति

19.4.17
17/6-17

इस वाद के सम्बन्ध में परिशक्ति मंत्र
की कार्यवाही नहीं है। कार्यवाही
एवं व्यापक है। वाद की कार्यवाही समाप्त
की जाती है।

फेम
08/11/18